न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 221 / 2018 (141 / 2017)
दायर दिनांक :– 06.07.2017

अनवान

श्रीमति सोहनी देवी पत्नि गिरधारी मीणा नि. बोराणी तहसील जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. श्री श्योजी पिता जगन्नाथ मीणा नि. भरणीखुर्द तहसील जहाजपुर
2. श्री काना पिता लाल मीणा नि. रावतखेडा हाल भरणीखुर्द तहसील जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 183, 53, 188 ए आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादी

:: निर्णय :: दिनांक 10.12.2019

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम भरणीखुर्द प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 85/6 रकबा 13.00 बीघा कृषि भुमि में वादिया का 3/4 हक व हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हक व हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी ख. न. 85 में से आंवटन मिसल सं. 729/68 दिनांक 30.05.1970 को मोडा, भैरू पिता नन्दा भील नि. भरणीखुर्द को 13.00 बीघा भूमि आंवटन हुई थी। तथा इन्तकाल नं. 38 से गैर खातेदारी में दर्ज हुई उक्त आवंटन के वक्त मोडा, भैरू पिता ना भील मौजा भरणीखुर्द को नक्शा सीट में तरमीम कर पैमुद कर कब्जा अ.न. 85/6 रकबा 13.00 बीघा पर सिपुर्द किया गया। तथा उसके पश्चात खरीद की दिनांक से वादीया एव प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं परन्तु तत्कालीन राजस्व रेकार्ड अधिकारियो ने घौर लापरवाहीपुर्वक आंवटन नक्शा को लट्ठा शीट में तरमीम नही किया व बिना किसी सक्षम न्यायालय के वादीया के मूल आवंटन खातेदारी की कृषि जमीन की नक्शा ट्रेस की जगह में 7 बीधा जमीन पर आ.न. 85/5 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 2 काना पिता लाल मीणा के खेतो में जमीन को तरमीम कर दिया जो गलत तरमीम किया गया हैं आ.न. 85/5 की आवंटन का नक्शा ट्रेस अलग हैं फिर भी राजस्व अधिकारियों ने अपने पदीय कर्तव्य में धौर लापरवाही करके वादीया की कृषि जमीन आ.न. 85/6 को आवंटन नक्शा माफिक तरमीम नही किया इसलिये वादपत्र मे वर्णित कृषि जमीन आ.न. 85/6 को संलगन आवंटन नक्शे अनुसार तरमीम कर लट्ठा सीट में आ.न. 85/5 की तरमीम दुरूस्त कर आ.नं. 85/6 को आवंटन नक्शानुसार तरमीम करने की घोषणात्मक डिक्री जारी किया जाना आवश्यकत एव न्याय संगत है। चरण सं. 1 में वर्णित कृषि जमीन को माफिक आवंटन मिसल सं. 729/68 को आवंटन नक्शे के अनुसार राजस्व लट्ठा सीट में प्रतिवादी सं. 2 की कृषि

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

जमीन की तरमीम को दुरूस्त कर वादीया की खातेदारी कृषि जमीन को तरमीम करने की घोषणात्मक डिकी बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण प्रदान कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त कर शा0 फा0 किये गये। प्रतिवादीवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 की नकल, नामान्तरकरण सं. 38 की नकल, पंजीकृत सूचना पत्र दफा 80 सीपीसी की प्रति, एवं नकल ट्रेस प्रस्तुत किये गये। जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये।

वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी वादग्रस्त भूमि जो नक्शे में तरमीम नही होने से मुताबिक आंवटन मिसल अनुसार नक्शे में तरमीम करवाना चाहता है। जो नक्शा ट्रेस में उक्त नम्बर अंकित नही होने से आवंटन मिसल व रेकार्ड अनुसार तरमीम करवाना चाहते है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त भुमि के रेकार्डेड खातेदार है। जिससे वादी व प्रतिवादीगण की (दोनो पक्षो) की भुमि को आंवटन मिसल एवं वर्तमान जमाबन्दी अनुसार तरमीम किया जाना उचित है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भरणीखुर्द प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर की आ. न. 85/6 रकबा 13.00 बीघा व प्रतिवादीगण की (दोनो पक्षो) की भुमि को आंवटन मिसल एवं वर्तमान जमाबन्दी अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर ;भीलवाडा
ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

श्रीमति सोहनी देवी पत्नि गिरधारी मीणा नि. बोराणी तहसील जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. श्री श्योजी पिता जगन्नाथ मीणा नि. भरणीखुर्द तहसील जहाजपुर
2. श्री काना पिता लाल मीणा नि. रावतखेडा हाल भरणीखुर्द तहसील जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 88, 183, 53, 188 आर0टी0ए0
प्रकरण संख्या :– 221/2018 (141/2017)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री .... का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भरणीखुर्द प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर की आ. न. 85/6 रकबा 13.00 बीघा व प्रतिवादीगण की (दोनो पक्षो) की भुमि को आंवटन मिसल एवं वर्तमान जमाबन्दी अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:08:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: